

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री रतन कुमार सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण निदेशक.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.जयपुर से मुख्य अभियंता.सार्वजनिक निर्माण विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रतन कुमार सिंह द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री रतन कुमार सिंह को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री रतन कुमार सिंह को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री रतन कुमार सिंह नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री रतन कुमार सिंह को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुसा वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 2458-2528

दिनांक:- 15.2.18

प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य अभियंता.सार्वजनिक निर्माण विभाग.जयपुर।
- 2 निदेशक.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.जयपुर।
- 3 श्री रतन कुमार सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय निदेशक.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री रतनलाल अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण आयुक्त.उद्योग विभाग.जयपुर से महानिरीक्षक. पुलिस रेंज.गृह विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रतनलाल अग्रवाल द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री रतनलाल अग्रवाल को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री रतनलाल अग्रवाल को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री रतनलाल अग्रवाल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री रतनलाल अग्रवाल को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 2458-2528

दिनांक:- 15.2.18

प्रतिलिपि:-

1 महानिरीक्षक. पुलिस रेंज.गृह विभाग.जयपुर।

2 आयुक्त.उद्योग विभाग.जयपुर।

3 श्री रतनलाल अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय आयुक्त.उद्योग विभाग.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कर्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री रवीन्द्र नाथ पारीक, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण सचिव.जयपुर विकास प्राधिकरण (एक्स काडर).जयपुर से कोषाधिकारी (ग्रामीण).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रवीन्द्र नाथ पारीक द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री रवीन्द्र नाथ पारीक को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री रवीन्द्र नाथ पारीक को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री रवीन्द्र नाथ पारीक नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री रवीन्द्र नाथ पारीक को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15.2.18

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 2458-2528

प्रतिलिपि:-

1 कोषाधिकारी (ग्रामीण).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर।

2 सचिव.जयपुर विकास प्राधिकरण (एक्स काडर).जयपुर।

3 श्री रवीन्द्र नाथ पारीक, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय सचिव.जयपुर विकास प्राधिकरण (एक्स काडर).जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी (पेंशन).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर से प्रमुख चिकित्सा अधिकारी.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग.बनीपार्क,जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 2458 — 2528

दिनांक:- 15.2.18

प्रतिलिपि:-

1 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,बनीपार्क,जयपुर।

2 कोषाधिकारी (पेंशन).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर।

3 श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय कोषाधिकारी (पेंशन).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री राजेश कुमार सोलंकी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण निदेशक.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग.जयपुर से निदेशक.पेंशन एव पेंशनर्स वेलफेयर विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राजेश कुमार सोलंकी द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री राजेश कुमार सोलंकी को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री राजेश कुमार सोलंकी को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री राजेश कुमार सोलंकी नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री राजेश कुमार सोलंकी को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15.2.18

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 2438-2528

प्रतिलिपि:-

1 निदेशक.पेंशन एव पेंशनर्स वेलफेयर विभाग.जयपुर।

2 निदेशक.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग.जयपुर।

3 श्री राजेश कुमार सोलंकी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय निदेशक.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग.जयपुर।


(अरविन्द दीब्रान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैंक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री राधाबल्लभ पीतलिया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण निदेशक.समेकित बाल विकास सेवाएं .जयपुर से कोषाधिकारी (पेंशन).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राधाबल्लभ पीतलिया द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री राधाबल्लभ पीतलिया को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री राधाबल्लभ पीतलिया को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री राधाबल्लभ पीतलिया नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री राधाबल्लभ पीतलिया को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15.2.18

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 2458—2528

प्रतिलिपि:-

1 कोषाधिकारी (पेंशन).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर।

2 निदेशक.समेकित बाल विकास सेवाएं .जयपुर।

3 श्री राधाबल्लभ पीतलिया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय निदेशक.समेकित बाल विकास सेवाएं .जयपुर।


(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री लावण्य कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण मुख्य अभियंता.सार्वजनिक निर्माण विभाग.जयपुर से आयुक्त.खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री लावण्य कुमार द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री लावण्य कुमार को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री लावण्य कुमार को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री लावण्य कुमार नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री लावण्य कुमार को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15/02/2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2428-2528

प्रतिलिपि:-

- 1 आयुक्त.खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग.जयपुर।
- 2 मुख्य अभियंता.सार्वजनिक निर्माण विभाग.जयपुर।
- 3 श्री लावण्य कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय मुख्य अभियंता.सार्वजनिक निर्माण विभाग.जयपुर।


(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री शम्भू दयाल गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग.सचिवालय.जयपुर से आयुक्त.वाणिज्यिक कर विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शम्भू दयाल गुप्ता द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री शम्भू दयाल गुप्ता को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री शम्भू दयाल गुप्ता को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री शम्भू दयाल गुप्ता नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री शम्भू दयाल गुप्ता को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15/02/2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 / 1458-2528

प्रतिलिपि:-

1 आयुक्त.वाणिज्यिक कर विभाग.जयपुर।

2 जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग.सचिवालय.जयपुर।

3 श्री शम्भू दयाल गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग.सचिवालय.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री विनोद कुमार बडेतिya, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण एनालिस्ट कम प्रोग्रामर .सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग .जयपुर से मुख्या अभियन्ता. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन. जयपुर. में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री विनोद कुमार बडेतिya द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री विनोद कुमार बडेतिya को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री विनोद कुमार बडेतिya को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री विनोद कुमार बडेतिya नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री विनोद कुमार बडेतिya को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15/02/2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2148

प्रतिलिपि:-

1 मुख्या अभियन्ता. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन. जयपुर।

2 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर .सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग .जयपुर।

3 श्री विनोद कुमार बडेतिya, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय एनालिस्ट कम प्रोग्रामर .सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग .जयपुर।


(अरविन्द धान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री/श्रीमति मीनाक्षी शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी.शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक).झोटवाड़ा से कोषाधिकारी (पेंशन).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री/श्रीमति मीनाक्षी शर्मा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री/श्रीमति मीनाक्षी शर्मा को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री/श्रीमति मीनाक्षी शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री/श्रीमति मीनाक्षी शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री/श्रीमति मीनाक्षी शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15/02/2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2548

प्रतिलिपि:-

1 कोषाधिकारी (पेंशन).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर।

2 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी.शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक).झोटवाड़ा।

3 श्री/श्रीमति मीनाक्षी शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी.शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक).झोटवाड़ा।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

दिनांक:-

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री/श्रीमती विनय चौहान, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण निदेशक.राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग.जयपुर से पंजीयक.सहकारिता विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री/श्रीमती विनय चौहान द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री/श्रीमती विनय चौहान को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री/श्रीमती विनय चौहान को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री श्रीमती विनय चौहान नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री/श्रीमती विनय चौहान को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15/02/2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528

प्रतिलिपि:-

1 पंजीयक.सहकारिता विभाग.जयपुर।

2 निदेशक.राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग.जयपुर।

3 श्री/श्रीमती विनय चौहान, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय निदेशक.राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

दिनांक:-

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री सन्तोष कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण मुख्य नगर नियोजक.नगर नियोजन विभाग.जयपुर से परियोजना निदेशक.राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सन्तोष कुमार शर्मा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री सन्तोष कुमार शर्मा को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री सन्तोष कुमार शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सन्तोष कुमार शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री सन्तोष कुमार शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15/02/2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-8523

प्रतिलिपि:-

1 परियोजना निदेशक.राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना.जयपुर।

2 मुख्य नगर नियोजक.नगर नियोजन विभाग.जयपुर।

3 श्री सन्तोष कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय मुख्य नगर नियोजक.नगर नियोजन विभाग.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री प्रमिल कुमार गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण निदेशक.सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग .जयपुर से आयुक्त. मिड डे मील. जयपुर में किया गया था किन्तु देशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री प्रमिल कुमार गुप्ता द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री प्रमिल कुमार गुप्ता को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री प्रमिल कुमार गुप्ता को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018** मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री प्रमिल कुमार गुप्ता नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री प्रमिल कुमार गुप्ता को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:-15/02/2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528

प्रतिलिपि:-

1 आयुक्त. मिड डे मील. जयपुर।

2 निदेशक.सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग .जयपुर।

3 श्री प्रमिल कुमार गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय निदेशक.सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग .जयपुर ।


(अरविन्द दीबानी)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री बाल मुकुन्द बसंल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण पंजीयक.सहकारिता विभाग.जयपुर से प्रधान मुख्य वन संरक्षक.वन विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु देशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बाल मुकुन्द बसंल द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री बाल मुकुन्द बसंल को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री बाल मुकुन्द बसंल को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री बाल मुकुन्द बसंल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री बाल मुकुन्द बसंल को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15/02/2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 / 2458-2523

प्रतिलिपि:-

1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक.वन विभाग.जयपुर।

2 पंजीयक.सहकारिता विभाग.जयपुर।

3 श्री बाल मुकुन्द बसंल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय पंजीयक.सहकारिता विभाग.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री भगवान सहाय शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण निदेशक.समेकित बाल विकास सेवाएं .जयपुर से कोषाधिकारी (शहर).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु देशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री भगवान सहाय शर्माद्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री भगवान सहाय शर्मा को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री भगवान सहाय शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018** मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री भगवान सहाय शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री भगवान सहाय शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15/02/2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 / 3958-2528

प्रतिलिपि:-

1 कोषाधिकारी (शहर).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर।

2 निदेशक.समेकित बाल विकास सेवाएं .जयपुर।

3 श्री भगवान सहाय शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय निदेशक.समेकित बाल विकास सेवाएं .जयपुर ।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री भागीरथ प्रसाद सैनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग.गोविन्दगढ़ से ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी. गोविन्दगढ़. जयपुर में किया गया था किन्तु देशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री भागीरथ प्रसाद सैनी द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री भागीरथ प्रसाद सैनी को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री भागीरथ प्रसाद सैनी को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री भागीरथ प्रसाद सैनी नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री भागीरथ प्रसाद सैनी को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15/02/2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528

प्रतिलिपि:-

1 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी. गोविन्दगढ़. जयपुर।

2 खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग.गोविन्दगढ़।

3 श्री भागीरथ प्रसाद सैनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग.गोविन्दगढ़।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री भोमसिंह शेखावत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी (शहर).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर से सचिव.जयपुर विकास प्राधिकरण (एक्स काडर).जयपुर में किया गया था किन्तु देशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री भोमसिंह शेखावत द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री भोमसिंह शेखावत को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री भोमसिंह शेखावत को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री भोमसिंह शेखावत नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री भोमसिंह शेखावत को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15/02/2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 / 2458-2518

प्रतिलिपि:-

1 सचिव.जयपुर विकास प्राधिकरण (एक्स काडर).जयपुर।

2 कोषाधिकारी (शहर).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर।

3 श्री भोमसिंह शेखावत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय कोषाधिकारी (शहर).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री मदन लाल रैगर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण विकास अधिकारी. पंचायत समिति. सांगानेर. जयपुर से ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी. फागी. जयपुर में किया गया था किन्तु देशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मदन लाल रैगर द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री मदन लाल रैगर को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री मदन लाल रैगर को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री मदन लाल रैगर नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री मदन लाल रैगर को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15/02/2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-4528

प्रतिलिपि:-

1 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी. फागी. जयपुर।

2 विकास अधिकारी. पंचायत समिति. सांगानेर. जयपुर।

3 श्री मदन लाल रैगर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय विकास अधिकारी. पंचायत समिति. सांगानेर. जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री मनोज यादव, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण सचिव.जयपुर विकास प्राधिकरण (एक्स काडर).जयपुर से निदेशक.साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मनोज यादव द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री मनोज यादव को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री मनोज यादव को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री मनोज यादव नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री मनोज यादव को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15/02/2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 / 8458-2545

प्रतिलिपि:-

- 1 निदेशक.साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग.जयपुर।
- 2 सचिव.जयपुर विकास प्राधिकरण (एक्स काडर).जयपुर।
- 3 श्री मनोज यादव, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय सचिव.जयपुर विकास प्राधिकरण (एक्स काडर).जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री मन्ना लाल बलाई, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण आयुक्त.परिवहन विभाग.जयपुर से ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी.शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक).झोटावाड़ा में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मन्ना लाल बलाई द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री मन्ना लाल बलाई को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री मन्ना लाल बलाई को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री मन्ना लाल बलाई नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री मन्ना लाल बलाई को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15/02/2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 / 2458-2528

प्रतिलिपि:-

- 1 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी.शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक).झोटावाड़ा।
- 2 आयुक्त.परिवहन विभाग.जयपुर।
- 3 श्री मन्ना लाल बलाई, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय आयुक्त.परिवहन विभाग.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)